

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/46/2025

रजि०नम्बर  
2025/202

प्रवेश तिथि  
10.07.2025

निर्णय दिनांक  
12.12.2025

1. मातादीन पुत्र गंगा सहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी,  
जिला अलवर राज०।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर (राज०)।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार थानागाजी  
निर्णय दिनांक 15.05.2025 प्र.सं. 172/24

उपस्थित:-

01—श्री शैलेन्द्र भार्गव

—वकील अपी०

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील रेस्पोंड

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 15.05.2025 जिसके द्वारा अपी० का अतिक्रमी करार देते हुए आराजी खसरा नं० 51 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.नं. 16 रकबा 0.01 हे० किस्म सिवायचक लगानी गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी की सिवायचक लगानी (राज० जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि) भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल एवं एक रुपये का पचास 50 गुणा शास्ति 50 रुपये/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी० ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि ग्राम दुहार चौगान के आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै०मु०रास्ता पर तार एवं जाल लगाकर एवं खसरा नम्बर 16 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै०मु०रास्ते पर बाजरा बोकर सम्वत् 2081 फसल खरीद में मातादीन ने अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विवादित आराजी का अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए विवादित आराजी का वार्षिक लगान न्यूनतम 01/- रुपये का पचास गुणा रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने एवं आराजी से अप्रार्थी अपीलान्ट को बेदखल करने का दिनांक 15.05.2025 को विधि विरुद्ध तरीके से आदेश पारित किया गया है जिससे यह अपील निम्न तथ्यों के साथ पेश की जा रही है।

उक्त रिपोर्ट से पूर्व भी पटवारी हल्का द्वारा इसी आशय की रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम दुहार चौगान के आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै०मु०रास्ता पर तार एवं जाल लगाकर एवं खसरा नम्बर 16 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै०मु०रास्ते पर बाजरा बोकर सम्वत् 2081 फसल खरीद में मातादीन ने अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर बाद तलबी मिन अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता का वकालतनामा पेश किया गया तथा कथन किया कि उक्त नोटिस गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 51 गै०मु०रास्ता रकबा 0.01 हैक्टेयर में कौनसी जगह अतिक्रमण किया गया है यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। जबकि रास्ते के पूर्व पश्चिम में ना तो अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी हैं जिसकी खातेदारी भूमि है, उनको नोटिस जारी नहीं किय गया है। उक्त नोटिस अपीलान्ट को महज नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से जारी किया गया है।

तथाकथित आराजी खसरा नम्बर 16 गै० मु०रास्ता मौके पर कभी नहीं रहा है और ना ही देखा गया है। जिसके आस पास भी कोई खातेदारी की भूमि नहीं है। मौके पर सैटलमेन्ट से पहले सम्वत् 2028 में भी कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सैटलमेन्ट के अधिकारियों

आ. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

द्वारा बिना कोई हक व अधिकार के एवं बिना किसी आदेश के मौके के विपरीत रास्ता कायम कर दिया तथा इसी आधार पर सम्वत् 2060 में भी मौके की स्थिति के विपरीत रास्ता कायम कर दिया। जिसकी दुरुस्ती हेतु एस०डी०एम० न्यायालय थानागाजी के समक्ष राजस्व वाद उनवानी महादेवी बनाम सरकार दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है।

आराजी खसरा नम्बर 51 गै०मु०रास्ते के पश्चिम में स्थित खातेदार अपीलान्ट के पिता गंगासहाय द्वारा भी एक वाद सिविल वाद गंगासहाय बनाम राजस्थान सरकार सिविल न्यायाधीश थानागाजी में पेश किया हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगायी गई, जिसमें पांच पटवारी द्वारा अपीलान्ट की आराजी की पैमाईश कर न्यायालय में पेश की गई जिसमें उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अप्रार्थी यानि तहसीलदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया कि मूल वाद के निस्तारण प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर कोई निर्माण कार्य ना करें, कमिश्नर रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया कि रास्ता प्रार्थी की खातेदारी में स्थित होना नहीं पाया गया। लेकिन तहत अदालत द्वारा गलत रूप से अपीलान्ट के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के मुकदमे कर तंग व परेशान किया जा रहा है। जबकि मौके पर तहसीलदार व उनके अधीनस्थ कर्मचारी सहायक कानूनगो/वरिष्ठ पटवारी हल्का भारतभूषण शर्मा एवं उनके रिश्तेदार हल्का पटवारी दुहार चौगान महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा गुमराह होकर उक्त कार्यवाही की गई है अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता निकाल कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जब उक्त मुकदमें विवादित आराजी की बाबत पूर्व से ही विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में तहत अदालत को निर्णय पारित करने अथवा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन तहत अदालत द्वारा कोई गौर नहीं किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि उक्त कार्यवाही सहायक कानूनगो भारतभूषण शर्मा एवं उनके रिश्तेदार पटवारी हल्का दुहार चौगान महेन्द्र कुमार शर्मा के प्रभाव व बहकावे में आकर तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। यहां यह भी गौर तहत श्रीमान है कि पूर्व में भी तहत अदालत द्वारा उक्त आराजी का अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध दिनांक 09.12.2022 को आदेश पारित किया गया था। जिस आदेश के पश्चात मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 12/21/2023 पेश की गई जो अपीलान्ट दिनांक 16.04.2025 को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का निर्णय दिनांक 09.12.2022 निरस्त किया गया। जिस तथ्य की अधिनस्थ न्यायालय को खर्ची जानकारी देते हुए पुनः उन्ही आधार पर अपना आदेश पारित किया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौके अवलोकन किया है और ना ही मौके की पैमाईश रिपोर्ट अपीलान्ट के द्वारा मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ मौके अपना आदेश महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने महज कयासीया आधार पर सहायक कानूनगो भारतभूषण शर्मा एवं उनके रिश्तेदार पटवारी हल्का दुहार चौगान महेन्द्र कुमार शर्मा के प्रभाव व बहकावे में आकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त भूमि के पैमाईश डिमार्केशन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। बिना डिमार्केशन किये हुए या बिना सीमांकन किये हुए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही अपीलान्ट के पीछे से करते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है तथा मिन अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य, सफाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

यहां यह भी काबिल गौर अदालत श्रीमान है कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम दुहार चौगान के आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै०मु०रास्ता पर तार एवं जाल


लगाकर एवं खसरा नम्बर 16 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै०मु०रास्ते पर बाजरा बौ कर सम्वत् 2081 फसल खरीफ में कैलाश ने अतिक्रमण किया जाना बताते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई है तथा उसके विरुद्ध अलग से प्रकरण दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2025 को निर्णय पारित किया है। जिससे भी यह साबित है कि अपीलान्त व उसके भाई कैलाश द्वारा किस स्थान पर अतिक्रमण किया गया है, अंकित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर का आदेश दिनांक 15.05.2025 निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पों की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार थानागाजी द्वारा अपी० को अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपी० खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का दुहार चौगान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आराजी खसरा नं० 51 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.नं. 16 रकबा 0.01 है० किस्म सिवायचक लगानी गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दुहार चौगान अपीलान्त द्वारा आराजी खसरा नंबर 51 रकबा 0.01 है०, किस्म गै०मु० रास्ता पर तार एवं जाल लगाकर एवं खसरा नंबर 16 रकबा 0.01 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता में बाजरा काशत कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का दुहार चौगान एवं मौका कमिश्नर द्वारा तैयार मौका पर्चा अनुसार आराजी खसरा नंबर 51 गैर मुमकिन रास्ते के पश्चिम में है तथा वर्तमान में संचालित रास्ता अपीलान्त की खातेदारी भूमि में स्थित नहीं है। अपीलाधीन आराजी के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर में विचाराधीन है, जिसमें मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। पत्रावली में संलग्न मा० न्याया० सिविल न्यायाधीश थानागाजी द्वारा प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में संचालित रास्ता अपीलान्त की खातेदारी भूमि में स्थित नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच किए बिना उक्त भूमि की रिपोर्ट बाबत अतिक्रमण पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी द्वारा भी उक्त भूमि की पैमाईश डिमार्केशन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की तथा बिना जांच ही निर्णय पारित किया गया है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का आदेश दिनांक 15.05.2025 को निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश थानागाजी, अलवर में विचाराधीन मूल वाद के अधीन रहेगा। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)